फॉर्म 49ए प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत अनुदेशों के लिए यहां **क्लिक** करें.
प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के बारे में विस्तृत अनुदेशों के लिए यहां **क्लिक** करें.

(ख) फॉर्म 49ए प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश (पैन नया)

https://tin.tin.nsdl.com/pan/Instructions49A.html#instruct_form49A

https://tin.tin.nsdl.com/pan/Instructions49A.html

(क)	फॉर्म केवल अंग्रेजी में भरा जाये.
(ख)	तारांकित (*) फील्ड भरने अनिवार्य हैं.
(ग)	आवेदक को फील्ड में प्रत्येक शब्द/नंबर/विराम चिह्न के बाद एक खाली स्थान छोड़ना होगा.
(घ)	जिनको 10 अंकीय शब्द-संख्या पैन पहले ही आबंटित किया जा चुका है वे पुन: आवेदन न करें, क्योंकि एक से अधिक पैन रखना या उपयोग करना गैर-काननूी है. तथापि उसी पैन से नया पैन कार्ड के लिए अनुरोध या / और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन 'नया पैन कार्ड या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध' फॉर्म भरकर भेजा जा सकता है.
(ङ)	आवेदकों को आवेदन में एओ कोड के साथ अपना वार्ड/सर्किल, रेंज या आयुक्त का विवरण देना होगा. ये विवरण आयकर कार्यालय से लिये जा सकते हैं या फॉर्म में दिये गये विवरण का उपयोग कर उचित विकल्पों का चुनाव कर स्वयं ढूंढ सकते हैं.

मद संख्या	मद का विवरण	फॉर्म भरने के लिए अनुदेश
1.	पूरा नाम	कृपया उपयुक्त शीर्षक को चुनें.
		व्यक्ति अपना पूरा नाम लिखें. अपना संक्षिप्त नाम या आधे नाम न लिखें.
		उदाहरण के लिए **पूनम रवि नारायण** को इस प्रकार लिखा जाये:
		अंतिम नाम/कुलनाम प्रथम नाम मध्यम नाम
		नारायण पूनम रवि
		आवेदक के कुलनाम, प्रथम नाम, मध्यम नाम और पिता के नाम में निम्नलिखित दो अक्षर लिये जा सकते हैं.

AH	AI	AL	AN	AO	AR	AS	BE	BI	BO	BP	CH	CY	DA	DE	DO	EE	EK	EM	ES	FA	FE	FK	FU
GI	GO	GU	HA	HE	HU	HO	ID	IK	IL	IN	JE	JI	JO	JR	JU	KA	KC	KE	KH	KI	KJ	KO	KS
KU	LE	LI	LO	LU	MA	MU	NA	NG	OH	OM	ON	PI	PT	QI	RU	SA	SE	SI	SM	SU	TA	TI	TO
TU	UR	UL	WO	WU	YE	YH	YI	YJ	YO	YU	ZI												

		‘व्यक्तियों’ के अलावा अन्य आवेदक उपर्युक्त अनुदेशों पर ध्यान न दें.
		उदाहरण के लिए
		कंपनी का नाम
		नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
		एचयूएफ अपने पूर नाम के बाद एचयूएफ लिखेगा
		उदाहरण के लिए
		एचयूएफ का नाम
		मनोज मफतलाल दवे (एचयूएफ)
		कंपनी के मामले में नाम में कोई संक्षेपाक्षर नहीं आना चाहिए, उदाहरण के लिए, ‘प्राइवेट लिमिटेड’ को प्रा.लि., प्राइवेट लि., प्रा. लिमिटेड, पी. लि. आदि लिखने की अनुमति नहीं है. यह ‘प्राइवेट लिमिटेड’ या ‘लिमिटेड’ ही होगा.
		एकल स्वामित्व वाली संस्था के मामले में एकल स्वामी को पैन का उपयोग अपने व्यक्तिगत नाम के साथ करना चाहिए.
		नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉ., मेजर, मेसर्स आदि नहीं लगाये जाने चाहिए.
2.	कार्ड पर किस तरह से अपना नाम प्रिंट करवाना चाहेंगे	व्यक्तिगत आवेदकों को संक्षिप्त नाम ‘कार्ड पर प्रिंट किया जाने वाला नाम’ देने की अनुमति है. संक्षिप्त नाम में पूरे नाम का अंतिम हिस्सा अवश्य होना चाहिए. उदाहरण के लिए **अंतिम नाम/कुलनाम प्रथम नाम मध्य नाम** **जैन विशाल कुमार** इसे निम्नानुसार लिखा जा सकता है: **विशाल कुमार जैन** **वी.के. जैन**

		विशाल के. जैन **गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए, यह उपर्युक्त मद संख्या 1 में नाम के अंतिम फील्ड में दिये अनुसार होना चाहिए.** कार्ड पर प्रिंट किया जाने वाला के नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉ., मेजर, मेसर्स आदि नहीं लगाये जाने चाहिए.
3.	क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने जाते थे?	यदि आवेदक 'हाँ' को चुनता है तो फिर अन्य नाम का विवरण देना अनिवार्य है. शीर्षक मद संख्या 1 में बताये उतना ही होना चाहिए. नाम के संबंध में मद संख्या 1 के अनुदेश यहां लागू होते हैं.
4.	पिता का नाम	यह केवल व्यक्तियों के लिए लागू है. नाम के संबंध में मद संख्या 1 के अनुदेश यहां लागू होते हैं. विवाहित महिलाएं अपने पिता का ही नाम लिखें, पति का नाम नहीं. पिता के नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉ., मेजर, मेसर्स आदि नहीं लगाये जाने चाहिए.
5.	पता - आवासीय और कार्यालय	**R - आवासीय पता** (1) व्यक्तियों/एचयूएफ/ व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्तियों के संघ और कृत्रिम विधिक व्यक्तियों के लिए आवासीय पता देना अनिवार्य है और उसका प्रमाण भी. (2) पहले चार फील्डों में से आवेदक को कम से कम दो फील्ड भरने चाहिए. (3) कस्बा/शहर/जिला, राज्य/संघ शासित क्षेत्र और पिन लिखना अनिवार्य है. (4) यदि आवेदक विदेशी पता यहां लिखना चाहता है तो ''राज्य/संघ शासित क्षेत्र'' के फील्ड में ड्राप डाउन सूची से ''भारत के बाहर'' विकल्प को चुनना चाहिए. आवेदक को देश का नाम चुनना चाहिए और लागू जिप कोड एंटर करना चाहिए. (5) व्यक्ति/एचयूएफ/ व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्तियों के संघ और कृत्रिम विधिक व्यक्ति इस फील्ड (आवासीय पते) को खाली छोड़ेंगे.
		O - कार्यालय पता (1) व्यक्तियों/एचयूएफ/ व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्तियों के संघ और कृत्रिम विधिक व्यक्तियों के मामले में, यदि मद संख्या 6 (पत्रव्यवहार

		के लिए पता) को "O"के रूप में चुना जाता है तो कार्यालय का पता अनिवार्य है. (2) वेतन के रूप में आय का स्रोत वाले व्यक्तियों के मामले में कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है [(मद संख्या 13 (क)). (3) फर्म, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण और व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट) के मामले में कार्यालय का नाम और पता अनिवार्य है. (4) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए पहले चार फील्डों में से कम से कम दो फील्ड अनिवार्य हैं. (5) कस्बा/शहर/जिला, राज्य/संघ शासित क्षेत्र और पिन लिखना अनिवार्य है. (6) यदि आवेदक विदेशी पता यहां लिखना चाहता है तो ''राज्य/संघ शासित क्षेत्र'' के फील्ड में ड्रापडाउन सूची से ''भारत के बाहर'' विकल्प को चुनना चाहिए. आवेदक को देश का नाम चुनना चाहिए और लागू जिप कोड एंटर करना चाहिए. **(7) यदि आवेदक व्यवसाय/पेशे में लगा है तो [कोड 9, 10, 12, 13, 15, 17 से 20 के अंतर्गत आता है - मद संख्या 13 (ख) देखें] और वर्णित क्षेत्र कोड MUM है तो कार्यालय का पता देना अनिवार्य है.** (8) व्यक्तियों और एचयूएफ के मामले में यदि मद सं. 6 (पत्र-व्यवहार लिए पता) "O" के रूप में चुना जाता है तो आवासीय पते के प्रमाण साथ कार्यालय के पते का प्रमाण 1 नवंबर 2009 को या उसके बाद किये जाने वाले आवेदनों के लिए अनिवार्य है.
6.	पत्र-व्यवहार के लिए पता	'R' से आशय आवासीय और 'O' से आशय कार्यालय से है. सभी भावी पत्र-व्यवहार इस फील्ड में दिये गये पते पर भेजे जायेंगे.
7.	टेलीफोन नंबर और ई मेल आईडी	(1) यदि टेलीफोन नंबर दिया गया है तो एसटीडी कोड अनिवार्य है. (2) मोबाइल नंबर के मामले में देश के कोड को एसटीडी लिखा जाये.
		आईएसडी/एसटीडी कोड **टेलीफोन नं.** 9 1 | 9 8 2 0 0 1 1 1 1 5

		जिसमें '91' भारत का देश कोड है. तथापि, डब्ल्यूएलएल मोबाइल (जैसे रिलायंस, टाटा इंडिकॉम आदि) के मामले में एसटीडी कोड का उल्लेख किया जाये.
		(3) सुझाव दिया जाता है कि आवेदक अपने टेलीफोन नंबर लिखें ताकि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की विसंगति के लिए उनसे संपर्क किया जा सके. (4) अनिवासी भारतीयों/विदेशी नागरिकों को अपने देश और शहर का आईएसडी कोड, जो लागू हो, आईएसडी/एसटीडी कोड के लिए दिये गये स्थान पर लिखना चाहिए जैसे शिकागो में रहने वाले व्यक्ति को आईएसडी/एसटीडी कोड के बॉक्स में 1312 लिखना चाहिए. (1 अमेरिका का आईएसडी कोड है और 312 शिकागो का सिटी कोड है) (5) ई-मेल के जरिये पैन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपना वैध ई-मेल आईडी लिखना चाहिए.
8.	लिंग	यह फील्ड व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है.
9.	आवेदन की स्थिति	यह फील्ड सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए अनिवार्य है.
10.	जन्म तिथि/ निगमन/ करार/ साझेदारी या ट्रस्ट विलेख/ व्यक्तियों के निकाय /व्यक्तियों के संघ का गठन	तारीख भावी तारीख नहीं हो सकती. 2 अगस्त 1975 को निम्नानुसार लिखा जाये 0 2 0 8 1 9 7 5 **DD MM YYYY** आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए संबद्ध तारीखें: **व्यक्ति**: जन्म की वास्तविक तारीख **कंपनी** : निगमन की तारीख **व्यक्तियों का संघ** : गठन की तारीख **व्यक्तियों का संघ(ट्रस्ट)** : ट्रस्ट विलेख तैयार करने की तारीख

		साझेदारी फर्में : साझेदारी विलेख की तारीख **एचयूएफ** : एचयूएफ गठन की तारीख और पैतृक एचयूएफ के लिए 01-01-0001, जिन मामलों में गठन की तारीख उपलब्ध नहीं है.
11.	पंजीकरण संख्या	व्यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए लागू नहीं. 'कंपनी' के लिए अनिवार्य. कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण संख्या लिखनी चाहिए. अन्य आवेदक राज्य या केन्द्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें.
12.	भारत के नागरिक	यह फील्ड आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है.
13. (क)	वेतनभोगी कर्मचारी	वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य फील्ड है और संस्था का नाम लिखना चाहिए.
13 (ख)	व्यवसाय/ पेशे की प्रकृति और कोड	यदि आवेदक 13 (क) और 13 (ग) के अंतर्गतं नहीं आता है तो ड्रापडाउन सूची से उचित विकल्प का चयन कर इस फील्ड को निर्दिष्ट किया जाये.
13 (ग)	अन्य	यदि आवेदक 13 (क) और 13 (ख) के अंतर्गत नहीं आता है तो ड्रापडाउन सूची से उचित विकल्प का चयन कर इस फील्ड को निर्दिष्ट किया जाये.
14	प्रतिनिधि कर निर्धारिती का नाम और पता	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी कर निर्धारिती के लिए प्रतिनिधि कर निर्धारिती हो सकता है. प्रतिनिधि कर निर्धारिती के लिए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए. पत्र-व्यवहार के लिए पते हेतु इस कॉलम में ऐसी विदेशी गैर-व्यक्तिगत संस्थाएं अपना नाम और भारत में अपने कर सलाहकार के पते का भी उल्लेख कर सकती है जिनका अपना कोई कार्यालय नहीं है. इसके समर्थन में नोटरीकृत या भारतीय दूतावास/उच्च आयोग या देश में स्थित वाणिज्य दूतावास से विधिवत् अनुप्रमाणित कर सलाहकार के पक्ष में मुख्तारनामा होना चाहिए. प्रतिनिधि कर निर्धारिती के नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉ., मेजर, मेसर्स आदि नहीं लगाये जाने चाहिए.
15	पहचान एवं पते का प्रमाण	फॉर्म में दी गई संबद्ध ड्रापडाउन सूची से उचित पहचान और पते के प्रमाण को चुनें.

		प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम में होने चाहिए जैसाकि आवेदन फॉर्म की मद संख्या 1 में वर्णित है. अवयस्क के मामले में, माता-पिता या अभिभावक में किसी का भी प्रमाण पहचान या पते का प्रमाण समझा जायेगा. एचयूएफ के मामले में, एचयूएफ के कर्ता के प्रमाण पहचान या पते के प्रमाण समझे जायेंगे.
16	अन्य विवरण: डिपॉजिटरी खाता	यदि आवेदक 'डिपॉजिटरी खाते की प्रति' को पहचान के प्रमाण या पते के प्रमाण के रूप में चुनता है तो डिपॉजिटरी खाते का विवरण भरना अनिवार्य है.
17	भुगतान विवरण	आवेदक के पास डिमांड ड्राफ्ट, चेक या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने का विकल्प है (भुगतान का विवरण दिशानिर्देशों में दिया गया है)
18.	हस्ताक्षर/ बांये हाथ का अंगूठा	आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए. यदि आवेदक अयवस्क/दिवंगत/मूर्ख/पागल/ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो प्रतिनिधि कर निर्धारिती को हस्ताक्षर करना चाहिए.

पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

1. व्यक्तियों के लिए

क)	व्यक्तिगत आवेदकों को आवासीय पते का प्रमाण देना चाहिए.
पहचान के प्रमाण	निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति
	1. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र 2. मैट्रिक प्रमाणपत्र 3. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था की डिग्री 4. डिपॉजिटरी खाता विवरण 5. क्रेडिट कार्ड विवरण 6. बैंक खाता विवरण/बैंक पास बुक 7. पानी का बिल 8. राशन कार्ड 9. संपत्ति कर निर्धारण आदेश

	10. पासपोर्ट 11. मतदाता पहचान कार्ड 12. चालक लाइसेंस 13. संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र

पते का प्रमाण	निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति
	1. बिजली का बिल* 2. टेलीफोन का बिल* 3. डिपॉजिटरी खाता विवरण* 4. क्रेडिट कार्ड विवरण* 5. बैंक खाता विवरण/बैंक पास बुक* 6. किराया की रसीद* 7. नियोक्ता का प्रमाण पत्र* 8. पासपोर्ट 9. मतदाता पहचान कार्ड 10. संपत्ति कर निर्धारण आदेश 11. चालक लाइसेंस 12. राशन कार्ड 13. संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते का प्रमाण पत्र
	* क्रम संख्या 1 से 7 तक पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज आवेदन की तारीख से छह माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए.

2. पैन के लिए आवेदन देते समय भारत के बाहर रह रहे भारत के नागरिक

पहचान के प्रमाण	पासपोर्ट की प्रति
पते का प्रमाण	निम्नलिखित में किसी एक की प्रति
	1. पासपोर्ट की प्रति 2. आवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति 3. अनिवासी (बाह्य) बैंक खाते का विवरण**

3. पैन के लिए आवेदन करते समय भारत में रह रहे विदेशी नागरिक

पहचान के प्रमाण	1. पासपोर्ट की प्रति 2. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड की प्रति पहचान के प्रमाण का कार्य करेगी.
पते का प्रमाण	निम्नलिखित में किसी एक की प्रति
	1. पासपोर्ट की प्रति 2. भारत में बैंक खाता विवरण की प्रति 3. राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी आवासीय अनुमति 4. विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र 5. भारत सरकार द्वारा जारी किया गया भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड 6. अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरण**

4. पैन के लिए आवेदन करते समय भारत के बाहर रह रहे विदेशी नागरिक

पहचान के प्रमाण	1. पासपोर्ट की प्रति 2. भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/ उच्च आयोग/अपोस्टिल द्वारा सत्यापित अन्य किसी राष्ट्रीय आईडी की प्रति

	3. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
पते का प्रमाण	निम्नलिखित में किसी एक की प्रति
	1. पासपोर्ट की प्रति 2. भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/ उच्च आयोग/अपोस्टिल द्वारा अनुप्रमाणित अन्य किसी राष्ट्रीय आईडी की प्रति 3. जिस देश में आवेदक रहता है उस देश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास/ उच्च आयोग/अपोस्टिल द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित आवास के देश के बैंक खाता विवरण की प्रति 4. भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड 5. अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरण**

टिप्पणी:

** गत छह माह की अवधि में ग्राहक द्वारा किये गये कम से कम दो लेनदेन हों और वे भारतीय दूतावास/ वाणिज्यि दूतावास के कार्यालय/ उच्च आयोग या अपोस्टिल या उस बैंक के प्रबंधक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित हों जहां पर खाता है. आवदेक संयुक्त खाताधारक हो सकता है.

II. व्यक्तियों के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए

अर्थात् फर्म, बीओआई, एचयूएफ, एओपी, एओपी(ट्रस्ट), स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

1. जिनका भारत में अपना कार्यालय है

पहचान और पते का प्रमाण	
एचयूएफ	एचयूएफ के कर्ता का व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोई भी दस्तावेज
कंपनी	कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति
फर्म	फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या साझेदारी विलेख की प्रति

एओपी (ट्रस्ट)	ट्रस्ट विलेख की प्रति या धमार्थ आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
एओपी/ बीओआई/ स्थानीय प्राधिकरण/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति	करार की प्रति या धमार्थ आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम् प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केन्द या राज्य सरकार का कोई ऐसा दस्तावेज जिससे ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण मिलता हो.

2. जिनका भारत में कोई कार्यालय नहीं है

पहचाने और पते का प्रमाण	**निम्नलिखित में किसी एक की प्रति**
	क) जहां आवेदक रहता है उस देश में भारतीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ उच्च आयोग/ अपोस्टिल द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित संबंधित देश के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
	ख)भारत में सक्षम् प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
	ग) भारत में सक्षम् प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति
	घ) भारत में सक्षम् प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन के साथ संबद्ध दस्तावेजों की प्रति
	ङ) भारत में सक्षम् प्राधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन (विधिवत् प्राप्ति रसीद) की प्रति